न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

वाद / प्रार्थना–पत्र सं.	बारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
33/25	212 RTA	खाखरा	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
हीरालाल	बनाम	बाबूलाल

वकील :– श्री भंवर सिंह जादौन **आदेश पत्रक** वकील:–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
13.05.2025	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 09.06.2025 को पेश हो।	
9.6.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० व अप्रार्थी सं० 1, 3/1 की ओर से श्री नाथूलाल गुप्ता एड० का वकालतनामा पेश हुआ। प्रार्थी की सं० 2, 3/2, 3/7, 8, 9 के स्थान का तामील प्राप्त बावजूद इतना के न्यायालय के उदासीनता की वजह से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है अप्रार्थी सं० 3/3 से 3/6 की तलबी हेतु तलबाना पेश करें। पत्रावली अगली तलबी दिनांक 7.7.25 को पेश हो।	
7.7.25	माननीय पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 25.8.25 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा, बारां,	
25.8.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० / वकील प्रार्थी प्रकरण के आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। प्रकरण के कार्यवाही इसी स्तर पर डीप करवाना चाहते है। प्रकरण के not press किया है। प्रकरण Not press के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तलमील के दाखिल दफ्तर हो।	not pass 25.8.25